न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–851 / 2020(जीसीएमएस नं. 2020 / 00608)

1. भूली देवी पत्नी रूपनारायण,
2. मनभर देवी पत्नी सीताराम,
3. लाली देवी पत्नी बाबूलाल,
4. सीता देवी पत्नी बद्रीनारायण जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी जयपुरा नम्बरदार की ढाणी, जगतपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. मोहन कंवर पत्नी श्योराज सिंह जाति राजपूत निवासी प्रेमपुरा, तहसील फागी, हाल निवासी 226 सचिवालय विहार, मानसरोवर, जयपुर जिला जयपुर।
2. तहसीलदार फागी, तहसील फागी जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. **श्री नरेश कुमार जैन एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री जितेन्द्र सिंह एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 10.04.2023

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.07.2020 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी ने विधि विरूद्ध एवं वास्तविकता की जॉच किये बिना ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.07.2020 पारित किया है जो निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी ने निर्णय जैर अपील पारित करने से पूर्व ना तो सम्बन्धित कानून का अवलोकन किया और ना ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के पश्चात् कोई कानूनी प्रक्रिया अपनायी केवल मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के प्रार्थना पत्र एवं अपीलार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत जवाब के मद्देनजर ही प्रकरण का निस्तारण करने में उन्होने अपने क्षेत्राधिकार सम्बन्धी भारी त्रुटि कारित की है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 669, 670, 671, 672, 673 कुल किता 5 रकबा 2.4152 हैक्टेयर की रिकॉर्डेड खातेदार है और यह सभी भूमि एक साथ लगी

P.T.O

हुई भूमि है और कानूनन एक खातेदार काश्तकार को अपनी सम्पूर्ण भूमि का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाने का अधिकार है व नियमानुसार सम्पूर्ण भूमि के संबंध में ही सीमाज्ञान किया जा सकता है किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में केवल मात्र भूमि खसरा नम्बर 669 के बारे में ही पत्थरगढ़ी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है और उन्होने अपनी खातेदारी में अंकित अन्य भूमि को छोड़कर केवल मात्र खसरा नम्बर 669 के बारे में ही प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है जो उसकी बदनियती को प्रकट करता है। जिसका एक मात्र उद्देश्य एक खसरा नम्बर का सीमाज्ञान कराकर मिन अपीलार्थीगण की खातेदारी की भूमि का खसरा नम्बर 667 और 668 पर कब्जा करना है और इसी उद्देश्य से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। उन्होने आगे कथन किया है कि यदि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपनी खातेदारी की भूमि में से खसरा नम्बर 669 की भूमि का रकबा कम होने का अन्देशा है तो इस बात की पूर्ण सम्भावना है कि उसकी भूमि के चारों दिशाओं में से किसी भी खातेदार की भूमि में उसका रकबा सम्मिलित हो सकता है। ऐसी स्थिति में भूमि खसरा नम्बर 669 के लगवा सभी खातेदारों को सुनकर विधि सम्मत कार्यवाही करनी चाहिए थी।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने कथन किया है कि यह निर्विवाद तथ्य है कि भूमि खसरा नम्बर 669 की पूर्व दिशा की ओर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की स्वयं की भूमि है और इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की कम हुई भूमि उसी की खातेदारी की अन्य भूमि में सम्मिलित हो। अपीलार्थीगण ने अपने जवाब में इस सम्बन्ध में लिखित आपत्ति प्रस्तुत की थी। इस आपत्ति पर अपना निर्णय व विवेचन किये बिना निर्णय जैर अपील पारित करने में अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी फागी ने भारी कानूनी गलती की है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि भूमि खसरा नम्बर 669 के चारों और अन्य खातेदारों की भूमि भी है जिनको पक्षकार न बनाते हुए केवल मात्र मिन अपीलार्थी को पक्षकार बनाने से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की बदनियती प्रमाणित है। अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी फागी ने ना तो प्रकरण को देखा, ना ही समझा और ना ही उन्होंने सम्बन्धित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया। इस प्रकार सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कानूनी प्रक्रिया को अपनाये सरसरी तौर पर प्रार्थना–पत्र को निस्तारित करने में भारी कानूनी गलती की है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.07.2020 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि आराजी संख्या 669 रकबा 0.8346 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम सेहदरिया तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है। जिसकी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है। उक्त

संभागीय आयुक्त
जयपुर

आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आराजी है जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 शान्तिपूर्वक काबिज काश्त चली आ रही है एवं आराजी का शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करती आ रही है। जिसका अपीलार्थीगण से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आराजी पर नाजायज अतिक्रमण कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेदखल करना चाहते है। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सीधी–साधी पर्दानशीन महिला है एवं जयपुर में रहकर अपना जीवनयापन कर रही है एवं कानून में अपना पूर्ण विश्वास रखती है जबकि अपीलार्थीगण उक्त आराजी के पड़ौसी है जो कि संख्या बल एवं भुजबल में अधिक है जिन्होंने एक नाजायज गिरोह बना रखा है जिसका उद्देश्य डरा–धमका कर जमीनें ऐंठना है और इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु अपीलार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से आये दिन लड़ाई झगड़ा कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को हैरान परेशान करते रहते है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने विवाद से बचने के लिए दिनांक 01.07.2019 को अपनी आराजी का सीमाज्ञान करवा लिया एवं सीमाज्ञान के अनुसार ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपनी आराजी पर काबिज होकर अपनी आराजी का उपयोग उपभोग कर रही है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि दिनांक 01.03.2020 को जब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादग्रस्त आराजी की देखभाल करने विवादग्रस्त आराजी आयी तो अपीलार्थीगण एवं कुछ अन्य व्यक्ति एक राय होकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आराजी पर आये एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कब्जे काश्त की आराजी पर अतिक्रमण करने की धमकी दी। इसलिए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपने हक हकूकों की रक्षार्थ उक्त प्रार्थना–पत्र पत्थरगढी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है जिस पर रेस्पेडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पत्थरगढी प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को सुनवाई को समुचित अवसर दिने के उपरान्त ही एवं प्रकरण का विधिक परीक्षण करने के पश्चात् ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.07.2020 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वादग्रस्म भूमि की सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 01.07.2019 में खसरा नम्बर 672 गै.मु.चाह से जरीब चलाना बताया है जबकि राजस्व रिकार्ड एवं मौके पर उक्त खसरा नम्बर 672 में गैर मु. चाह दर्ज नही है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण के उक्त जवाब आधार पर ही वादग्रस्त भूमि का पुनः सीमाज्ञान करते हुए पत्थरगढी के आदेश दिये गये जो अपीलार्थीगण के जवाब को ध्यान में रखते हुए ही वादग्रस्त

भूमि का पुनः सीमाज्ञान करते हुए पत्थरगढी किये जाने के अपीलाधीन आदेश पारित किये है। ऐसी स्थिति में जब अपीलार्थीगण के अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जवाब के आधार पर ही अपीलाधीन आदेश पारित हुआ है तो ऐसे में अब न्यायालय हाजा के समक्ष अपीलार्थीगण द्वारा किये गये उज्रात कानूनन उचित नही होते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.07.2020 को यथावत रखा जाता है।

(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 10.04.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

10/4/23

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।